छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड ,रायपुर
कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन,रायपुर (छ.ग.)
492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165
वेबसाईट - www.cgaupcb.in, **ई-मेल** - registrar@cgaupcb.in

क्रमांक / सूचना / 2022 / 753 रायपुर, दिनांक – 02/12/2022

–:: सूचना ::–

यह संज्ञान में आया है कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर में पंजीकृत कतिपय निजी आयुर्वेद, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पॉम्पलेट अथवा सार्वजनिक स्थानों पर अपनी विशेषज्ञता एवं विभिन्न रोगों के शर्तिया उपचार के संबंध में भ्रामक तथा अतिश्योक्तिपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित, प्रसारित करवाया जा रहा है अथवा होर्डिंग इत्यादि लगवाया जा रहा है।

चिकित्सा व्यवसायियों का यह आचरण भारतीय चिकित्सा व्यवसायी (वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार तथा आचार संहिता) विनियम 1982, औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम 1954, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 में अंर्तनिहीत प्रावधानों के विपरीत है तथा यह व्यावसायिक कदाचरण की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि भविष्य में यदि किसी चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा अपनी उपाधि विशेषज्ञता अथवा बीमारी के उपचार के बारे में भ्रामक जानकारी अथवा अतिश्योक्तिपूर्ण प्रचार करते पाया गया तो बोर्ड द्वारा संबंधित चिकित्सा व्यवसायी के विरूद्ध उपरोक्त अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

सर्वसंबंधित एतदर्थ पालनार्थ सूचित होवें।

(डॉ. संजय शुक्ला)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर

***